चीन तथा भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्र में, विश्वासोत्पादक उपायों के संबंध में चीन लोक गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार

चीन लोक गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसमें इसके बाद दोनों पक्ष कहा गया है),

इस विश्वास के साथ कि इस करार से सम्प्रभुता तथा प्रादेशिक अखण्डता, परस्पर अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के इन पाँच सिद्धांतों के प्रति एक दूसरे के द्वारा सम्मान के अनुरूप दीर्घकालिक आधार पर अच्छे पड़ोसी के संबंध स्थापित करना चीन तथा भारत के लोगों के मूल हितों का साधन होगा,

इस बात से आश्वस्त होकर कि चीन-भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थायित्व को बनाए रखना, दोनों देशों के लोगों के मूल हितों के अनुरूप है और इससे अन्ततोगत्वा सीमा संबंधी प्रश्न के समाधान की दिशा में भी योगदान मिलेगा,

इस बात की पुनः पुष्टि करते हुए कि दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष किसी भी प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करेगा अथवा इसकी धमकी नहीं देगा अथवा अपनी ओर से सैन्य श्रेष्ठता की स्थापना का प्रयास नहीं करेगा,

7 सितम्बर, 1993 में चीन तथा भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थायित्व बनाए रखने के संबंध में चीन लोक गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच संपन्न करार के अनुसरण में,

इस बात को मानते हुए कि दोनों पक्षों के सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्र में विश्वासोत्पादक प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है,

चीन-भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर पहले से किए गए विश्वासोत्पादक उपायों की उपादेयता पर गौर करते हुए,

सैन्य क्षेत्र में आपसी विश्वास तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध होकर,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद - एक

दोनों में से कोई भी पक्ष एक दूसरे के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमता का प्रयोग नहीं करेगा ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों पक्षों द्वारा अपनी-अपनी सैन्य शक्ति के अंग के रूप में तैनात सशस्त्र बलों में से किसी का भी प्रयोग एक-दूसरे के खिलाफ आक्रमण करने के लिए नहीं किया जाएगा अथवा उक्त दोनों सशस्त्र बल ऐसी कोई भी सैनिक गतिविधियां नहीं करेंगे जिससे दोनों में से किसी भी पक्ष को खतरा उत्पन्न होता हो अथवा चीन-भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति, स्थायित्व और स्थिरता कमजोर होती हो ।

अनुच्छेद - दो

दोनों पक्ष सीमा संबंधी प्रश्न का निष्पक्ष, समुचित तथा परस्पर स्वीकार्य हल करने के अपने-अपने निश्चय को दोहराते हैं । सीमा संबंधी प्रश्न का अंतिम हल होने तक दोनों पक्ष इस बात की पुनः पुष्टि करते हैं कि वे चीन-भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा का कड़ाई से सम्मान और पालन करने के लिए वचनबद्ध रहेंगे । दोनों में से कोई भी पक्ष ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन होता हो ।

अनुच्छेद - तीन

दोनो पक्षों ने चीन-भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर परस्पर सहमत भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर अपने-अपने सैन्य बलों में कटौती करने अथवा सीमित करने के लिए निम्नलिखित उपायों पर सहमति व्यक्त की है :

(1) दोनों पक्ष इस बात की पुनः पुष्टि करते हैं कि वे चीन-भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर परस्पर सहमत भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर अपने-अपने सैन्य बलों में कटौती करेंगे अथवा उन्हें सीमित करेंगे ताकि इन बलों के स्तर को दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण तथा अच्छे पड़ोसी के से संबंधों के अनुरूप तथा पारस्परिक और समान सुरक्षा के सिद्धांत के अनुरूप रखा जा सके ।

(2) दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर परस्पर रूप से सहमत भौगोलिक क्षेत्रों में पैदल सेना, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्ध-सैनिक बल और अन्य किसी परस्पर रूप से सहमत सशस्त्र सेना की किसी श्रेणी की तैनात संख्या को परस्पर रूप से सहमत अधिकतम सीमा तक घटाएंगे अथवा सीमित करेंगे । घटाने अथवा सीमित की जाने वाली युद्ध-सामग्री की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं : लड़ाकू टैंक, इन्फेन्ट्री कम्बेट वाहन, 75 एम एम अथवा अधिक व्यास की तोपें (होवित्जर सहित), 120 एम एम अथवा बड़े व्यास की मार्टर, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तथा परस्पर रूप से सहमत कोई अन्य शस्त्र प्रणाली ।

(3) दोनों पक्ष घटाने या सीमित किए जाने वाले सैन्य बलों और युद्ध-सामग्री से संबद्ध आँकड़ों का आदान-प्रदान करेंगे और चीन-भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर परस्पर रूप से सहमत भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर परस्पर और समान सुरक्षा के सिद्धांत की अपेक्षाओं के अनुरूप, भू-भाग की प्रकृति, सड़क संचार और अन्य आधारभूत संरचना तथा सेनाओं और युद्ध सामग्री के अधिष्ठापन/हटाने में लगने वाले समय जैसे मानदण्डों पर उचित ध्यान करते हुए उच्चतम सीमाएं तय करेंगे ।

अनुच्छेद - चार

चीन-भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और अमन बनाए रखने के उद्देश्य से तथा दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के इरादों को गलत समझने के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी प्रकार के तनाव को रोकने के लिए :

(1) दोनों पक्ष चीन-भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट एक डिवीजन (अनुमानतः 15,000 सैनिक) से अधिक सेना वाले बड़े स्तर के सैन्य युद्धाभ्यासों का परिहार करेंगे । तथापि, इस प्रकार के युद्धाभ्यास यदि किए भी जाने हों तो युद्धाभ्यासरत मुख्य बल की सामरिक दिशा दूसरे पक्ष की ओर नहीं होनी चाहिए ।

(2) यदि दोनों में से कोई भी पक्ष चीन-भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट एक ब्रिगेड ग्रुप (अनुमानतः 5,000 सैनिक) से अधिक सैन्य बल वाला कोई प्रमुख सैन्य अभ्यास संचालित करता है तो वह दूसरे पक्ष को इसके स्वरूप, स्तर, नियोजित अवधि और अभ्यास का क्षेत्र तथा संख्या और अभ्यास में भाग लेने वाले यूनिटों के प्रकार और संघटन के संबंध में पूर्व सूचना देगा ।

(3) अभ्यास के पूरा होने तथा उस अभ्यास क्षेत्र से सैनिक-टुकड़ियों के हटाए जाने की तारीख की सूचना अभ्यास पूरा होने अथवा हटाए जाने के पांच दिन के भीतर दूसरे पक्ष को देनी होगी ।

(4) दोनों में से प्रत्येक पक्ष मौजूदा अनुच्छेद के पैरा (2) में निर्दिष्ट आंकड़ों के संबंध में अभ्यास करने वाले पक्ष से यथासमय स्पष्टीकरण मांग सकता है ।

अनुच्छेद - पाँच

चीन-भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास वायुयानों के अवैध प्रवेश तथा सैन्य वायुयानों द्वारा ओवर फ्लाइटों और अवतरणों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से :

(1) दोनों पक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेंगे कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार वायुयानों का अवैध प्रवेश न हो । तथापि, किसी प्रकार का अवैध प्रवेश यदि होता है तो ज्योंही इसका पता

चले इसे रोक दिया जाएगा तथा वायुयान का प्रचालन करने वाले पक्ष द्वारा तत्काल इस घटना की जांच की जाएगी । जांच के परिणामों से दूसरे पक्ष को राजनयिक माध्यमों के जरिए अथवा सीमा कर्मिक बैठकों में तत्काल अवगत करा दिया जाएगा ।

(2) इस अनुच्छेद के पैरा (3) और (5) के अध्यधीन रहते हुए, कम्बेट वायुयान (जिसमें लड़ाकू, बमवर्षक, सर्वेक्षण, सैन्य प्रशिक्षक, सशस्त्र हैलीकॉप्टर और अन्य सशस्त्र वायुयान शामिल हैं) वास्तविक नियंत्रण रेखा से 10 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उड़ान नहीं भरेगा ।

(3) यदि दोनों में से किसी भी पक्ष के लड़ाकू वायुयान की उड़ानें वास्तविक नियंत्रण रेखा से 10 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर भरनी पड़े तो उसे दूसरे पक्ष को निम्नलिखित सूचना राजनयिक माध्यमों से पहले भेजनी होगी:

(क) कम्बेट वायुयान की किस्म और संख्या;
(ख) प्रस्तावित उड़ान की ऊँचाई (मीटरों में);
(ग) उड़ानों की प्रस्तावित अवधि (सामान्यतः 10 दिनों से अधिक नहीं);
(घ) उड़ानों का प्रस्तावित समय; और
(ङ.) अक्षांश और देशांतर रेखांश में परिभाषित कार्यवाही क्षेत्र ।

(4) शस्त्र रहित परिवहन वायुयान, सर्वेक्षण वायुयान और हैलीकॉप्टरों को वास्तविक नियंत्रण रेखा तक उड़ान भरने की अनुमति होगी ।

(5) दोनों में से किसी भी पक्ष का कोई भी सैन्य वायुयान बिना पूर्व अनुमति के वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार नहीं कर सकता । किसी भी पक्ष का सैन्य वायुयान वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार अथवा दूसरे पक्ष के वायु क्षेत्र पर या दूसरे पक्ष की भूमि पर इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार उड़ान संबंधी विस्तृत सूचना प्रदान करने के बाद परवर्ती पक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही उड़ान भर सकता है अथवा उतर सकता है ।

उपरोक्त अनुबंध के होते हुए भी प्रत्येक पक्ष को वास्तविक नियंत्रण रेखा के अपनी ओर अथवा अपने हवाई क्षेत्र के जरिए दूसरे पक्ष के सैन्य वायुयान के उड़ान भरने या अवतरण के लिए अल्प सूचना पर भी अतिरिक्त शर्तें निर्दिष्ट करने का सम्प्रभुता संपन्न अधिकार है ।

(6) आपात परिस्थितियों में उड़ान सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों पक्षों के नामित प्राधिकारी उपलब्ध संचार के सबसे तीव्र साधनों के जरिए एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं ।

अनुच्छेद - छह

चीन-भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संकटपूर्ण सैन्य कार्यकलापों के निवारण को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष नीचे लिखे अनुसार सहमत हुए हैं :

(1) कोई भी पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा से दो किलोमीटर के भीतर न तो गोलीबारी करेगा, न ही जैव क्षरण का कारक बनेगा, न ही खतरनाक रसायनिकों का प्रयोग करेगा, न ही बंदूकों या विस्फोटकों द्वारा विस्फोटक कार्रवाई करेगा और न ही शिकार करेगा । यह प्रतिबंध हथियारों की छोटी फायरिंग रेंज की नेमी फायरिंग पर लागू नहीं होगा ।

(2) अगर विकासात्मक कार्यकलापों के तौर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के दो किलोमीटर के भीतर विस्फोटक कार्रवाई करने की आवश्यकता हो तो उसके बारे में राजनयिक माध्यम से या दोनों देशों के सीमा कार्मिकों की अधिमानतः पाँच दिन पहले बैठक बुलाकर दूसरे पक्ष को सूचना देनी होगी ।

(3) वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में सजीव कारतूसों से अभ्यास करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि गोली या मिसाइल दुर्घटनावश वास्तविक नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ न गिरे और दूसरे पक्ष के कार्मिकों या उनकी सम्पत्ति को नुकसान न पहुँचाए ।

(4) यदि दोनों पक्षों के सीमा कार्मिकों का वास्तविक नियंत्रण रेखा के संरेखण में मतभेद होने के कारण या किसी अन्य कारण से आमना-सामना होता है तो वे अपने को स्वतः नियंत्रित रखेंगे और स्थिति को और अधिक गंभीर बनाने से बचने के लिए सभी संभव उपाय करेंगे । उस स्थिति की समीक्षा करने के लिए और किसी भी तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए दोनों पक्ष राजनयिक माध्यम से और/या अन्य उपलब्ध चैनलों के माध्यम से तत्काल परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद - सात

सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिक कार्मिकों और स्थापनाओं के बीच आदान-प्रदान और सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं :

(1) वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नियत स्थानों पर दोनों देशों के सीमा प्रतिनिधियों के बीच अनुसूचित और फ्लैग मीटिंगों की व्यवस्था को बनाए रखना और उसे संवर्द्धित करना;

(2) वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नियत स्थानों पर सीमा बैठकों के स्थानों के बीच दूरसंचार संपर्कों को बनाए रखना और उन्हें संवर्द्धित करना ;

(3) दोनों पक्षों के माध्यम और उच्चस्तरीय सीमा प्राधिकारियों के बीच चरणबद्ध तरीके से संपर्क स्थापित करना ।

अनुच्छेद - आठ

(1) यदि प्राकृतिक विपदा जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों में एक पक्ष के कार्मिक वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करते हैं और दूसरी तरफ पहुँच जाएं तो दूसरा पक्ष उन्हें सभी संभव सहायता उपलब्ध कराएगा तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार जबरन या असावधानीवश प्रवेश के बारे में उनके पक्ष को यथाशीघ्र सूचित करेगा । संबंधित कार्मिकों को उनके अपने पक्ष को लौटाने के तौर-तरीके आपसी परामर्श से तय किए जाएंगे ।

(2) दोनों पक्ष परस्पर सटे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाली उन प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों के बारे में यथाशीघ्र एक दूसरे को सूचित करेंगे जो दूसरे पक्ष को प्रभावित करती हों । सूचना का आदान-प्रदान या तो राजनयिक माध्यमों से किया जाएगा या सीमा कार्मिकों की बातचीत के माध्यम से ।

अनुच्छेद - नौ

यदि सीमा क्षेत्र में कोई संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न होती है, अथवा यदि दोनों में से किसी एक पक्ष को दूसरे पक्ष द्वारा इस करार के पालन किए जाने के तरीके पर कुछ शंका होती है तो कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष से स्पष्टीकरण माँग सकता है । माँगे गए स्पष्टीकरण और उनके उत्तर राजनयिक माध्यमों से संप्रेषित किए जाएंगे ।

अनुच्छेद - दस

(1) इस बात को मानते हुए कि वर्तमान करार के कुछ प्रावधानों का क्रियान्वयन चीन-भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के सैरेखण पर परस्पर सहमत होने पर निर्भर होगा, दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण और पुष्टिकरण की प्रक्रिया को तेज करने पर सहमत हैं । इस प्रक्रिया के प्रारंभिक कदम के रूप में दोनों पक्ष उन खण्डों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के सैरेखण को स्पष्ट कर रहे हैं जिन खण्डों के संबंध में उनके दृष्टिकोण एक-दूसरे से भिन्न हैं । दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के सम्पूर्ण सैरेखण के उनके अपने-अपने दृष्टिकोण को दर्शाने वाले नक्शों को यथाशीघ्र आदान-प्रदान करने पर सहमत हो गए हैं ।

(2) वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण और पुष्टिकरण की प्रक्रिया के पूरा होने तक दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के सैरेखण और सीमा के प्रश्न पर और अपने-अपने दृष्टिकोणों पर प्रभाव डाले बिना इस करार के अन्तर्गत निहित विश्वासोत्पादक उपायों के क्रियान्वयन के लिए अन्तरिम रूप से क्रियाविधि तैयार करेंगे ।

अनुच्छेद - ग्यारह

इस करार के एक से दस तक अनुच्छेदों के अन्तर्गत अपेक्षित विस्तृत क्रियान्वयन के उपाय सीमा प्रश्न पर गठित चीन-भारत संयुक्त कार्यकारी दल में आपसी परामर्श से तय किए जाएंगे । इस करार के अंतर्गत क्रियान्वयन के उपाय खोजने में चीन-भारत राजनयिक और सैन्य विशेषज्ञ दल चीन-भारत संयुक्त कार्यकारी दल की सहायता करेगा ।

अनुच्छेद - बारह

यह करार अनुसमर्थन के अध्यधीन है और अनुसमर्थन के दस्तावेज का आदान-प्रदान होने की तारीख से प्रभावी होगा । यह करार उस समय तक प्रभावी रहेगा जब तक दोनों में से कोई एक पक्ष इसे समाप्त करने के अपने निश्चय का छह माह का लिखित नोटिस नहीं दे देता । अधिसूचना के छह माह बाद यह करार अवैध हो जाएगा ।

दोनों पक्षों के बीच लिखित आपसी सहमति से इस करार में संशोधन और परिवर्द्धन किए जा सकते हैं ।

आज नई दिल्ली में, एक हजार नौ सौ छियानवे के नवंबर माह के २९ वें दिन चीनी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में संपन्न । सभी तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । पाठ में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा ।

钱其琛

चीन लोक गणराज्य की
सरकार की ओर से

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से